



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124953

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19249/2026

हर्षप्रताप सिंह @ सनी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	राजीव कुमार सिंह परमार
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान वकील श्री राजीव कुमार सिंह परमार और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 38/2026 में धारा 103(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- मोहम्मदाबाद, जिला-फर्रुखाबाद के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक ने पहले सूचनाकर्ता को सूचित करने के बाद 06.12.2025 को घर छोड़ दिया कि वह वर्तमान आवेदक के साथ जा रहा है। इसके बाद, मृतक नहीं आया और स्टेशन मास्टर द्वारा 06.12.2025 को एक ट्रेन दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी गई। मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर दो हिस्सों में मिला और उसके बाद 07.12.2025 को पहले सूचनाकर्ता द्वारा शव की पहचान की गई। इसके बाद, बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के माध्यम से एक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आवेदक और सह-अभियुक्त के खिलाफ मृतक की हत्या में उनकी संलिप्तता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु एक ट्रेन दुर्घटना के कारण हुई और दुर्घटना से ठीक पहले, वह प्लेटफॉर्म पर शराब पी रहा था।

4. अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक गवाह, शेर सिंह ने आगे आकर 29.03.2026 को अपना बयान दर्ज करवाया जिसमें कहा गया था कि उसने आवेदक को आखिरी बार 06.12.2025 की शाम को मृतक की कंपनी में देखा था, जब वे शराब पी रहे थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और मृतक की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना के कारण हुई है। आवेदक की ओर से इशारा करने पर किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 08.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जो 2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया, मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जमानत देने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024 एससीसी ऑनलाईन एलएल 6765**) में रिपोर्ट किया गया, मामले में इस न्यायालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **हर्षप्रताप सिंह @ सनी**, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

10. आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ-साथ जमानतदारों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति** जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के **31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य**, के मामले में दिनांक **29.05.2026** के आदेश का पालन करते हुए इस आदेश की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक प्रति जेल अधीक्षक, फ़ररूकाबाद के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।